

हुकम या कारवाही मय इनिशियल्स जल
 मुकदमा संख्या :- 921 / 2022
 महाबीर प्रसाद सैनी बनाम राजस्थान सरकार
 पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

तहसीलदार झुंझुनूं से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आदर्श नगर की जमाबंदी संवम् 2074-77 के खाता सं. 22, 24, 45 में प्रार्थी का नाम महाबीर प्रसाद पुत्र खम्मा रिकार्ड दर्ज है। एवं प्रार्थी के अन्य दरखावेजों में महाबीर प्रसाद सैनी पुत्र खम्मारास सैनी दर्ज है। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुंझुनूं की अभिशंभा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुलाबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व-रिकार्ड में अमल दशमद कर पालना करें। पत्रावली फ़ैशाल शुम्मार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ़्तर हो। सैनी निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten signature)
 मुकदमा अधिकारी
 झुंझुनूं (राज.)

करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः मुलाबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व-रिकार्ड में अमल दशमद कर पालना करें। पत्रावली फ़ैशाल शुम्मार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ़्तर हो। सैनी निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए